



क्रमांक :- डीबीआरएजीसीबी / 2025 / 526

दिनांक : 29/01/25


कार्यालय आदेश

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के आदेश क्रमांक एफ20(1)मअ/2013/5021-26 दिनांक 19.01.2023 की अनुपालना में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आंतरिक समिति का गठन किया जाता है।

महिला के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 की पालनार्थ उक्त कार्यालय महिला के यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु गठित आंतरिक समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है।

क्र.सं.	नाम	विवरण
1	उषा चौहान	अध्यक्ष
2	सुमन कंवर	सदस्य
3	गजेन्द्र राठौड़	सदस्य
4	राम प्रसाद गुर्जर	सदस्य
5	भगवती	सदस्य

1. अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यलय का निर्धारण नियुक्ति तिथि से अधिकतम 3 वर्ष का होगा । नियमानुसार पुनर्गठन किया जाकर नवगठित आंतरिक समिति के आदेश की प्रति उपनिर्देशिक अधिकारिता जोधपुर कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा
2. गठित आंतरिक समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित फॉर्म में वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता एवं जिला अधिकारी को प्रेषित करेंगे।
3. अध्यक्ष एवं मनोनित सदस्यों को अधिनियम धारा की 16 के विरुद्ध एवं अन्यथा जैसा अधिनियम की धारा 4[5] प्रदत्त है। कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा एवं इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्त को अधिनियम के अन्तर्गत नवीन नियुक्तियों से भरा जायेगा।


(प्रो. उषा चौहान)

प्राचार्य
डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलाड़ा, जोधपुर